न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 154/2019
प्रार्थीगण :-

1. महेन्द्र पुत्र रुपाराम
2. कमला पुत्री रुपाराम
3. विद्या पुत्री रुपाराम
4. रेखा पुत्री रुपाराम
5. श्रीमति केलीदेवी पत्नी रुपाराम जातियान जाट निवासीगण भावी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. शंकरराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी भावी तहसील बिलाडा
2. खीयाराम पुत्र मालाराम जाति जाट (सेंगवा) निवासी भावी बिलाडा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 3 सरकारी पैरोकार

दिनांक 17/02/26

निर्णय

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 2676 रकबा 02 बीघा आयी हुई है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है। तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण की खसरा नंबर 2676 रकबा 02 बीघा भूमि के उपरी दिशा की ओर अप्रार्थी सं. 1 की भूमि खसरा नंबर 2677 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा तथा इसी प्रकार प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 2676 रकबा 02 बीघा के पश्चिमी दिशा 4 बीघा 10 बिस्वा स्थित है। सभी पक्षकारान अलग-अलग मौके अनुसार काबिज चले आ रहे है। तथा मौके अनुसार का नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण अभी दो माह पहले अपनी खातेदारी, कब्जासुदा की भूमि खसरा नंबर 2676 रकबा 02 बीघा के चारों ओर काटों की तारबन्दी करने हेतु गये लेकिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में तारबन्दी करने से रोक दिया जिस पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये फिर भी प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को समझाया गया कि खसरा नंबर 2676, 2677, 2695 की सम्पूर्ण भूमि का नाप करवाओं ताकि सभी पक्षकारों की अधिक भूमि को लेकर मौके पर नाम करके वस्तुस्थिति सामनें आ जायेगी लेकिन अप्रार्थीगण इस बात पर अड गये कि भूमि खसरा नंबर 2695, 2677 का ही नाप करवायेंगे। इस कारण प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि

खसरा नंबर 2676 का नाप (सीमांकन) पत्थरगढी करवाने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। सभी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2676, 2677, 2695 के मौके पर बंट के अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है लेकिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2677, 2695 से अधिक रकबे पर काबिज चले आ रहे है और अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जबरन भूमि में मिला दिया है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपनी भूमि से अधिक रकबे को दबाना चाहता है। जब तक भूमि खसरा नंबर 2676, 2677, 2695 के सम्पूर्ण रकबे का नाप नहीं किया जाता तब तक मौके की वस्तुस्थिति सामने नही आयेगी। इस कारण नाप एवं सीमाकंन, पत्थरगढी कराने हेतु सभी रेकर्डेड खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेष कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भावी(जे.बी.) तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नंबर 2676 रकबा 02 बीघा, खसरा नंबर 2677 रकबा 03 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 2695 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा का नाप (सीमांकन) एवं पत्थरगढी किये जाने के समय पुलिस इमदाद की व्यवस्था दिलायी जाने का आदेष फरमावें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये बाद तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 व 2 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 3 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर 2676 रकबा 2 बीघा आई हुई है। जो ग्राम भावी जे.बी. की सीमा है। प्रार्थीगण के खसरा नंबर 2678 के उतरी सीमा व पश्चिमी दिशा की ओर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आई हुई है। जिस पर अप्रार्थीगण अलग-अलग मौके अनुसार काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत के चारों ओर तारबंदी करवानी चाही तो अप्रार्थीगण द्वारा रोक दिया गया, तथा झगडा करने लगे। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को समझाने पर वे सीमांकन व पत्थरगढी करवाने हेतु सहमत हो गये। पद सं. 5 से 8 का जवाब कानूनी है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अनुसार सम्पूर्ण खसरा नंबर का सीमांकन कर दिया गया है। तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को अपने खसरा नंबर की सीमाओं का ज्ञान करवा दिया गया है। सीमांकन फर्द संलग्न है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। अप्रार्थी सं. 3 द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 18.05.2024 संलग्न कर प्रार्थीगण की भूमि का सीमांकन व पत्थरगढी करने की सहमति प्रदान की है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा खसरा नंबर 2676, खसरा नंबर

2677 व खसरा नंबर 2695 का सीमाकंन व पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था और तहसीलदार बिलाडा द्वारा खसरा नंबर 2676, खसरा नंबर 2676/1 व खसरा नंबर 2695 का सीमाकंन किया गया। जोकि प्रार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुरूप नहीं है। प्रार्थीगण केवल खसरा नंबर 2676 का रेकर्डेड खातेदार है प्रार्थीगण खसरा नंबर 2677 व खसरा नंबर 2695 के रेकर्डेड खातेदार नही होने से सीमांकन व पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खसरे से चिपते खसरान के सभी खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में प्रभावित काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने से एकतरफा निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 को प्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार (खसरा नंबर 2677 व खसरा नंबर 2695) नहीं होने व प्रभावित खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिलाडा
सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

निर्णय आज दिनांक 17/02/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
बिलाडा
सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा